बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश संख्या-07/स्था0 (आ0)-120/2013 परि0.:3584 पटना, दिनांक-31/07/2013

आदेश

मो. युनूस, निलंबित प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक 2194 दिनांक 07.06.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लेते हुए विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.07.2013 को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मो. युनूस को अपना मौखिक/लिखित पक्ष रखने हेतु दिनांक 20.06.2013, दिनांक 05.07.2013 एवं दिनांक 15.07.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए उपस्थित होने की सूचना दिया गया।

मो. युनूस दिनांक 20.06.2013 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए एवं एक लिखित आवेदन द्वारा सूचित किया कि उन्हें विभागीय कार्यवाही की सूचना उसी दिन प्राप्त हुई है । दिनांक 05.07.2013 को मो. युनूस द्वारा एक आवेदन दिया कि सम्प्रति वे अस्वस्थ हैं, उनके स्वस्थ होने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जाय। साथ ही उनके द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 17757/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.03.13 को पारित आदेश की छायाप्रति भी उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 15.07.13 को निर्धारित तिथि को भी मो. युनूस न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित अभिकथन ही प्रस्तुत किया ।

3. मो. युनूस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय पत्रांक 2194 दिनांक 07.06.13 में गठित प्रपत्र 'क' में निम्नांकित आरोप लगाये गये है, जिसपर संचालन पदाधिकारी ने अपना जांच प्रतिवेदन निम्न प्रकार से समर्पित किया है:-

(i) <u>अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरूपयोग</u>

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा मो. युनूस के निवास स्थान एवं उनके अन्य संबंधित स्थानों में दिनांक 20.02.13 को छापामारी की गयी, जिसमें लगभग रू0 5.12 करोड़ की सम्पति होने का प्रमाण मिला ।

इसके आधार पर धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(ई.) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत मो. युनूस के विरूद्ध अपनी सेवावधि में पद का दुरूपयोग करते हुए रू0 5.12 करोड़ रू0 का प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-05/2013 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है ।

(ii) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई-3, बिहार, पटना के पत्रांक 509 दिनांक 04.03.13 के साथ संलग्न अनुसंधानकर्त्ता के जांच प्रतिवेदन में छापामारी के क्रम में प्रकाश में आई चल-अचल संपत्ति के ब्यौरा से स्पष्ट है कि मो. युनूस के द्वारा अपनी आय से अधिक चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है, जो उनके संदिग्ध चरित्र का स्वतः परिचायक है ।

(iii) मो0 युनूस का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

(iv) मो0 युनूस के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19(6) का उल्लंघन कर सरकारी कर्त्तव्य के पालन में घोर कदाचार एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप स्थापित होता है ।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में मो. युनूस से विभागीय पत्रांक 3271 दिनांक 20.07.13 से द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 29.07.2013 तक समर्पित करने के लिए कहा गया । उनके द्वारा दिनांक 29.07.13 को एक आवेदन उपलब्ध कराया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र उनके स्थायी पता पर स्पीड पोस्ट से दिनांक 29.07.13 को उनकी पत्नी को हस्तगत कराया गया एवं उनके द्वारा एक सप्ताह का समय और मांगा गया।

मो. युनूस द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान भी अपना पक्ष रखने में शुरू से टालमटोल एवं असहयोग की नीति अपनायी गयी एवं द्वितीय कारण पृच्छा के संदर्भ में भी वही नीति अपनायी जा रही है ताकि वे अपनी सेवानिवृति की तिथि दिनांक 31.07.13 तक मामले को लंबित रखे एवं उनके विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई निष्पादित नहीं की जा सके ।

5. मो. युनूस द्वारा विभागीय कार्यवाही को स्थगित करने हेतु दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 12082/13 को भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.07.13 को पारित निर्णय में खारिज कर दिया गया है ।

6. अतः आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा मो. युनूस के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मो. युनूस के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मो. युनूस के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के वृहत शास्तियाँ (ix) के अन्तर्गत मो. युनूस को तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

ह० 31/7/13
प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 3584.　　　　पटना, दिनांकः- 31/07/2013

प्रतिलिपिः मो. युनूस, निलंबित प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग,बिहार,पटना सम्प्रति, मुख्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह० 31/7/13
प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 3584.　　　　पटना, दिनांक- 31/07/2013

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार,विश्वेश्वरैया भवन को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 31/7/13
प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।